

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यटन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) के तहत विलासिता कर/मनोरंजन कर में छूट	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.
2	मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) के तहत होटल/रिसार्ट पर छूट/अनुदान.	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) के तहत हेरिटेज होटल छूट/अनुदान.	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.
4	मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) के तहत बजट होटल हेतु छूट/अनुदान.	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.
5	MICE Tourism के अन्तर्गत कन्वेंशन सेंटर निर्माण करने पर निवेशक को पूंजीगत अनुदान.	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.
6	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क एवं व्यपवर्तन टैक्स में छूट.	वरिष्ठ प्रबंधक, टी.पी. यू. शाखा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	45 दिवस	मुख्य महाप्रबंधक (योजना).	30 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विकास निगम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.